# कार्यालय नगर पंचायत काँठ, जनपद– मुरादाबाद

पत्रांकः–1627/ न0प0 कांठ/ ई-निविदा/ 18 दिनाँक– 21-3-18

## अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

नगर पंचायत काँठ के समस्ते पंजीकृत ठेकेदारों/जी0एस0टी0 में पंजीकृत अधिकृत फर्मों को सूचित किया जाता है कि 14वें वित्त आयोग 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क तथा रा0वि0आ0 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से वेतन आदि वितरण के पश्चात् अवशेष धनराशि से निम्नलिखित कार्यो की ई – निविदा आमंत्रित की जाती है । ई – निविदा का विस्तृत विवरण एवं प्रपत्र बेबसाइट https://etender.up.nic.in से डाउनलोड / प्राप्त किया जा सकता है । अन्य नियमो व शर्तो की सम्पूर्ण जानकारी बेबसाइट https://etender.up.nic.in तथा www.npkanth.in पर अपलोड कर दी गई है , से प्राप्त की जा सकती है ।

| | | |
|---|---|---|
| A | ई– प्रोक्योरमैन्ट के माध्यम से निविदा प्रकाशन की तिथि | 22.03.2018 |
| B | वेबसाइट पर ऑनलाइन निविदा डाउनलोड की तिथि | 23.03.2018 अपरान्ह 11:00 बजे से |
| C | ई– प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा डालने की तिथि व समय | 11.04.2018 दोपहर 12:00 बजे तक |
| D | ई– प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि व समय | 11.04.2018 अपरान्ह 02:00 बजे ~~तक~~ से |
| E | ई – निविदा खोलने का स्थान | कार्यालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद |

| क. सं. | कार्य का विवरण | आगणन राशि | 2 प्रतिशत धरोहर राशि | टेण्डर शुल्क | जी0एस0 टी0 18 % | कार्य अवधि | भुगतान की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उमरी अमरोहा बस स्टैण्ड मन्दिर के पास सी0सी0 टाईल्स कार्य | 341500 | 6830 | 700 | 126 | 1 माह | 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क |
| 2 | मौ0 घोसीपुरा वार्ड 8 में लखीराम सिंह के मकान से दयाराम के मकान तक सी0सी0 टाईल्स रोड व नाली निर्माण। | 139000 | 2780 | 300 | 54 | 1 माह | 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क |
| 3 | अमरोहा बस स्टैण्ड नसीम के मकान से राम भरोसे की दुकान तक नाला निर्माण | 538000 | 10760 | 1100 | 198 | 1 माह | 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क |
| 4 | वार्ड न0. 2 मे डी0एस0एम0 पेट्रोल पम्प की दीवारी से लाला श्रवण की दुकान तक नाला निर्माण | 643500 | 12870 | 1300 | 234 | 1 माह | 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क |
| 5 | मौ0 पट्टीमोढ़ा वार्ड 5 मे मनोज सिंह के मकान से राम सिंह कोचिंग होते हुए राजाराम सैनी के मकान तक सी0सी0 टाईल्स रोड व नाली निर्माण। | 964000 | 19280 | 2000 | 360 | 1 माह | 14 वॉ वि0 आ0 |
| 6 | वार्ड 5 पट्टीमोढ़ा मे बाबूराम के मकान से मुकन्दी के मकान तक व यशपाल के प्लाट से मन्नो देवी के मकान तक व कुलदीप की गली व रामवती की गली में सी0सी0 टाईल्स रोड व नाली निर्माण। | 553100 | 11062 | 1100 | 198 | 1 माह | 14 वॉ वि0 आ0 |
| 7 | वार्ड 5 मौ0 पट्टीमोढ़ा में देवेन्द्र सिंह के मकान से ब्रजेश के मकान तक व चन्द्रपाल की गली व छत्रपाल सिंह से अनिल की बाउंड्री के कोने तक सी0सी0 टाईल्स रोड व नाली निर्माण। | 1723100 | 34462 | 3450 | 621 | 1 माह | 14 वॉ वि0 आ0 |
| 8 | वार्ड 5 मौ0 पट्टीमोढ़ा में विजयपाल के प्लाट से पब्लिक इंटर कॉलिज तक, कमलेश के मकान से राधेश्याम तक, ओमप्रकाश की गली व रामपाल से मनोज के मकान तक सी0सी0 टाईल्स रोड व नाली निर्माण। | 1367000 | 27340 | 2700 | 486 | 1 माह | 14 वॉ वि0 आ0 |
| 9 | वार्ड न0 4 माननगर मे अनिल कुमार के मकान से सुभाष के मकान तक व सुनील कुमार के मकान से लीला देवी के मकान तक सी0सी0 टाईल्स रोड व नाली निर्माण। | 2075500 | 41510 | 4200 | 756 | 2 माह | 14 वॉ वि0 आ0 |
| 10 | वार्ड नं0 4 माननगर में राजू के मकान से मुन्नी के मकान तक मुन्नी के मकान से राज कुमारी तक, राजू के मकान से संतोष तक व अमीर चन्द के मकान तक सी0सी0 टाईल्स रोड व नाली निर्माण | 968000 | 19360 | 1950 | 351 | 1 माह | 14 वॉ वि0 आ0 |
| 11 | वार्ड 05 पट्टीमोड़ा में सुनील के मकान से ओमप्रकाश के मकान तक सौनाथ के मकान से यादराम व राजपाल के मकान से रोशन के मकान तक सी0सी0 टाईल्स रोड व नाली निर्माण। | 3663800 | 73276 | 7300 | 1314 | 2 माह | रा0वि0आ |
| 12 | वार्ड 05 पट्टी मौढ़ा मे रामचन्द्र के मकान से पप्पू भुर्जी के मकान तक सी0सी0 टाईल्स रोड व नाली निर्माण। | 644500 | 12890 | 1300 | 234 | 1 माह | रा0वि0आ0 |
| 13 | वार्ड 05 पटटीमोढा में ओमपाल के मकान से महेन्द्र के मकान तक सी0सी0 टाईल्स रोड व नाली निर्माण | 658100 | 13162 | 1300 | 234 | 1 माह | रा0वि0आ |
| 14 | वार्ड 05 पटटीमोढा में राजेन्द्र धनगर के मकान से लाखन व राजेन्द्र चौहान के मकान होते हुये सोमपाल सिंह के मकान तक सी0 सी0 टाईल्स रोड व नाली निर्माण | 998800 | 19976 | 2000 | 360 | 1 माह | रा0वि0आ0 |
| 15 | नगर पंचायत काँठ मे अमरोहा बस स्टैण्ड के पास जू0हाई0 सकूल के पास 5 सीटेड पिंक शौचालय का निर्माण | 770000 | 15400 | 1540 | 277 | 2 माह | स्वच्छ भारत मिशन |
| 16 | नवादड़ी में संत धर्मशाला के पास 5 सीटेंड शौचालय का निर्माण | 770000 | 15400 | 1540 | 277 | 2 माह | रा0वि0आ0 |
| 17 | नगर पंचायत काँठ में पट्टी मौढ़ा चौहान किसान सहकारी समिति कैम्पस में 5 सीटेड शौचालय निर्माण | 770000 | 15400 | 1540 | 277 | 2 माह | स्वच्छ भारत मिशन |
| 18 | तहसील परिसर निकट डायट में 5 सीटेड शौचालय का निर्माण | 770000 | 15400 | 1540 | 277 | 2 माह | स्वच्छ भारत मिशन |
| 19 | नगर पंचायत काँठ माननगर में प्रा0 विद्यालय के पास 8 सीटेड शौचालय का निर्माण | 862100 | 17242 | 1724 | 310 | 2 माह | स्वच्छ भारत मिशन |
| 20 | नगर पंचायत काँठ में कार्यालय एंव आवास व चाहरदीवारी की पुताई व मरम्मत कार्य | 277500 | 5550 | 500 | 90 | 1 माह | रा0वि0आ0 |
| 21 | नगर पंचायत काँठ में वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु 30 सफाई श्रमिक की आउटसोर्सिंग पर आपूर्ति | | 20000 | 2000 | 360 | 1.4.2018 से 31.3.2019 तक | रा0वि0आ0 /टाउन फंड |

नोट :– नियम /शर्ते तथा विस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत कॉठ जनपद मुरादाबाद से किसी भी कार्य दिवस मे प्राप्त की जा सकती है एंव क0 सं0 21 के डाउनलोड करने की तिथि दिनांक 22.03.2018 से 28.03.2018 दोपहर 12:00 बजे तक रहेगी तथा दिनांक 28.03.2018 को दोपहर 02:00 बजे कार्यालय नगर पंचायत काँठ में खोली जायेगी।

मौ0 महबूब
लिपिक
नगर पंचायत काँठ
मुरादाबाद

सूर्यकान्त
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत काँठ
मुरादाबाद

प्रीति
अध्यक्षा
नगर पंचायत काँठ
मुरादाबाद

<u>नियम व शर्ते :–</u>

1– उक्त कार्यो हेतु नगर पंचायत कॉठ जनपद मुरादाबाद के पंजीकृत ठेकेदार / अधिकृत सेवाप्रदाता ही ई– निविदा दे सकते है ।

2– शासनादेश संख्या 3070 /78–2–2018–42 आई 0 टी0 /2017(22) दिनॉक 03 जनवरी 2018 के अनुपालन में निविदादाताओं द्वारा ई– निविदा प्रमाणी के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों की स्कैन प्रतियॉ के ट्रान्जेंक्शन न0 को ई– निविदा डालते समय अपलोड करना होगा , निविदा प्रकिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ई– निविदा में संलग्न किये गये अभिलेखों के मूल अभिलेख कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जायेंगें । यदि निविदादाताओं द्वारा उक्त प्रकिया पूर्ण नही की जाती है तो इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उनका पंजीयन निरस्त कर काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी ।

3– निविदा प्रपत्र शुल्क (जी0 एस0 टी0 सहित ) तथा निविदा की 2 प्रतिशत जमानत राशि को नगर पंचायत कॉठ के प्रथमा बैंक कॉठ स्थित खाता सं0 20015001500 में चालान के माध्यम या नगद या डी0 डी0 के माध्यम से जमा करते हुयें जमा विवरण की स्कैन कॉपी भी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

4–निविदादाता को निविदा के साथ 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मय फोटो नौटरी द्वारा सत्यापित कराकर देना होगा , ,जिसका प्रारूप नगर पंचायत कॉठ से प्राप्त कर सकते है । यह शपथ पत्र निविदा प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है तथा बिना इसके किसी निविदा पर विचार नही किया जायेगा

5– सशर्त कोई भी निविदा स्वीकार नही की जायेगी ।

6– शासनादेश संख्या 1383/9–9–14 – 84 ज /14 दिनॉक 19 नबम्बर 2014 एंव शासनादेश संख्या 120/16/2194/नौ –8– 2016– 96 ज /2015 दिनॉक 2016 का अनुसरण अतिआवश्यक है एंव इससे संम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र बिड में संलग्न किये जायेगें ।

7– शासनादेश संख्या 24 पी0आई0पी0(1) /नौ –5–2017–120 बजट /2013 दिनॉक 24 अगस्त 2017 के अनुसार निर्मित की जाने वाली सडक / कार्य को निर्माण पूर्ण होने पश्चात 5 बर्ष तक अनुरक्षण /रख–रखाब की जिम्मेदारी ठेकेदार / फर्म की होगी ।

8– निर्माण कार्य का सैम्पुल परीक्षण कराने के पश्चात ही कार्य का अन्तिम भुगतान किया जायेगा ।

9– शासनादेश सं0 – 609/नौ –9–2007–249ज /06 दिनॉक 26.02.2007 के अनुसार राज्य बार कौसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी में प्रतिभाग करने का अधिकार न होगा ।

10– प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को 1– हैसियत प्रमाण पत्र, 2– चरित्र प्रमाण पत्र ,3– पैन न0 ,4– जी0एस0टी0 पंजीकरण की प्रतियॉ ,5– ई0पी0एफ0 कोड की छायाप्रति एक लिफाफे में रखकर एंव निविदा शुल्क व धरोहर राशि की एफ0 डी0 आर0 /डी0 डी0 की मूल्य प्रति एक लिफाफे में रखकर लिफाफे पर कार्य का नाम , कार्य की कम सं0 , ठेकेदार का नाम / फर्म का नाम के साथ निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर एंव मोहर लगाकर निर्धारित तिथि , दिनांक –11.04 .2018 को अपरान्ह 12:00 बजे तक नगर पंचायत कॉठ मुरादाबाद कार्यालय में रखे बाक्स में डालना होगा , यदि लिफाफे पर उक्त विवरण अंकित नही होगी तो लिफाफा अवैध माना जायेगा एंव ऐसी निविदा का संज्ञान नही लिया जायेगा । निविदा के साथ 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र मय फोटो नौटरी द्वारा सत्यापित कराकर देना होगा तथा निविदा के साथ अपलोड करना होगा , ,जिसका प्रारूप नगर पंचायत कॉठ से प्राप्त कर सकते है । यह शपथ पत्र निविदा प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है तथा बिना इसके किसी निविदा पर विचार नही किया जायेगा

11– निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सं0 – 622/23.12.2012–02 आडिट /09 टी0सी0 –2 दिनॉक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न दरें प्राप्त होने पर 0.5 प्रतिशत प्रति प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलों दरों पर 01 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर परफोरमेन्स गारंटी की अतिरिक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा । निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

12– अपठनीय / अस्पष्ट स्कैन कापी टेण्डर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी ।

13– प्रत्येक निविदादाता निविदा देने से पूर्व उक्त सूची में अंकित निर्माण कार्य के स्थल का ठेकेदार भली – भॉति निरीक्षण अवश्य कर ले

14– नगर पंचायत कॉठ जनपद – मुरादाबाद में वर्ष 2017–18 के लिये पंजीकृत ठेकेदार ही उक्त सभी निर्माण कार्यो की निविदायें डाल सकते है यदि कोई अपंजीकृत ठेकेदार उक्त निविदा में प्रतिभाग करता है / ई– निविदा डालता है तो उसे अवैध मानते हुये उसकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा तथा अपंजीकृत ठेकेदार की निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी ।

15 – जी0 एस0 टी0 के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी प्रावधान लागू माने जायेगें तथा नियमानुसार आयकर व अन्य करों की कटौती की जायेगी ।

16– अद्योहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये , निविदा के किसी भी भाग अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा , इस संबंध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा ।

17– तकनीकी बिड मे निम्नलिखित प्रपत्र/ प्रमाण पत्र स्केन कर अपलोड करने होंगे।

(a) प्रत्येक कार्य के सम्मुख अंकित अर्नेस्ट मनी की एफ.डी.आर/डी0डी0./नकद धनराशि की रसीद जोकि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कॉंठ, मुरादाबाद के नाम बन्धक होगी। निविदादाता को प्रत्येक निविदा के साथ निविदा कय की रसीद / धनराशि का चालान तथा 2 प्रतिशत एफ.डी.आर/डी0डी0./नकद धनराशि का रसीद की मूल प्रति को निविदा अपलोड करते समय स्कैन कर अपलोड करना तथा निर्धारित तिथि व समय को अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कॉंठ, मुरादाबाद के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से उपलब्ध कराना होगा । ऐसा न किये जाने की दशा मे निविदा नॉन रिस्पोन्सिव घोषित कर दी जायेगी। एफ.डी.आर/एन.एस.सी./नकद धनराशि की रसीद के लिफाफे पर कार्य का नाम तथा ठेकेदार / फर्म का नाम अंकित किया जायेगा। धरोहर राशि न पाये जाने की दशा मे निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा स्वीकृति उपरान्त संबंधित ठेकेदार को ठेका निष्पादित/अनुबन्ध करते समय 8 प्रतिशत जमानत राशि जोकि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कॉठ के नामें बंधक हो , जमा करनी अनिवार्य होगी अन्यथा की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा तथा संबंधत ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

(b) पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

(c) जी0एस0टिन नं. की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

(d) श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति

(e) ई0 पी0 एफ0 कोड की स्वप्रमाणित छायाप्रति

(f) ज़िलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र एंव हैसियत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

नोट– ई– निविदा खुलने की तिथि को अवकाश होने की स्थिति में अगले दिवस को ई – निविदा खोली जायेगी । संशोधन से सम्बन्धित कोई भी सूचना बेबसाइट https://etender.up.nic.in तथा www.npkanth.in पर ही उपलब्ध की जायेगी । स्वच्छ भारत मिशन , 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क तथा 14 वे वित्त आयोग से कराये जाने वाले कार्यो का भुगतान शासन से उपयोगिता अवधि बढने की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही किया जायेगा । इस संबंध किसी भी ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नही होगा ।

| | | |
|---|---|---|
| मौ0 महबूब<br>लिपिक<br>नगर पंचायत काँठ<br>मुरादाबाद | सूर्यकान्त<br>अधिशासी अधिकारी<br>नगर पंचायत काँठ<br>मुरादाबाद | प्रीति<br>अध्यक्षा<br>नगर पंचायत काँठ<br>मुरादाबाद |

**सेवाप्रदाता हेतु नियम व शर्ते :-**

1– वे सभी व्यक्ति , फर्मे , एन0 जी0ओ0 निर्धारित प्रारूप पर निविदा में भाग ले सकते है जो श्रम विभाग से लेवर आपूतिकर्ता के रूप में पंजीकृत हो । पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

2– निविदादाताओं को निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में रू0 20000.00 (बीस हजार मात्र ) जमा करना अनिवार्य होगा जो एफ0डी0 आर0 / डी0 डी0 के रूप में जमा होगा तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कॉठ के पक्ष में बन्धक होगा तथा साथ ही निविदा शुल्क कार्यालय नगर पंचायत कॉठ के प्रथमा बैंक कॉठ स्थित खाता सं0 20015001500 में चालान जमा कर चालान की कॉपी व एफ0डी0 आर0 / डी0डी0 की कॉपी स्कैन कर अपलोड करनी अनिवार्य होगी । साथ ही मूल रूप सें अन्य चाहे गये प्रपत्रो के साथ नगर पंचायत कॉठ कार्यालय में रखे टेण्डर वाक्स में डालनी होगी ।

3– निविदादाताओं को विभिन्न श्रेणी के श्रमिक को आपूर्ति के लिए तदनुरूप ही अर्हता / योग्यताधारी व्यक्ति की आपूर्ति करनी होगी ।

4– निविदादाता को श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान उसके आधार लिंक खाते के माध्यम से ही करना होगा ।

5– निविदादाता के द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले कर्मियों के कार्यो में शिथिलता / लापरवाही पाये जाने पर उसे हटाकर दूसरे कर्मी की आपूर्ति करनी होगी ।

6– फर्म / ठेकेदार /सेवाप्रदाता एजेंसी निविदा में अपना लाभांश प्रतिशत में अंकित करें । जिस भी फर्म / ठेकेदार / सेवाप्रदाता एजेंसी का लाभांश प्रतिशत में कम होगा , तथा जो समस्त अर्हताएं पूरी करती होगी , उसी फर्म /ठेकेदार /सेवाप्रदाता एजेंसी को कार्यादेश जारी किया जाऐगा ।

7– नियमानुसार आयकर एंव जी0एस0टी0 व अन्य कटौतियॉ बिल से की जायेगी ।

8– फर्म / ठेकेदार /सेवाप्रदाता एंजेंसी का श्रम विभाग , आयकर विभाग , भविष्य निधि , राज्य बीमा निगम , जी0 एस0 टी0 आदि में रिजस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा सम्बन्धत के साक्ष्य निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं ।

9– फर्म / ठेकेदार /सेवाप्रदाता एंजेंसी को सरकारी / अद्धसरकारी कार्यालय व अन्य सरकारी विभागों में कार्मिकों की आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड करना एंव लिफाफें मे रखकर वाक्स में जमा करना होगा ।

10– फर्म / ठेकेदार /सेवाप्रदाता एंजेंसी द्वारा प्रतिमाह समय से श्रमिकों को भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा , अन्यथा ठेका समाप्त कर दिया जायेगा ।

11– फर्म / ठेकेदार /सेवाप्रदाता एंजेंसी को निर्धारित स्टाम्प पेपर पर नगर पंचायत कांठ के पक्ष में अनुबन्ध निष्पादित करना अनिवार्य होगा , अनुबन्ध न करने की दशा में जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

12– आपूर्ति किये गये श्रमिकों की दुर्घटना इत्यादि की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा ।

13– फर्म / ठेकेदार /सेवाप्रदाता एंजेंसी को नियमानुसार श्रमिकों का ई0पी0एफ0 , बीमा, आदि नियमानुसार जमा करना होगा तथा इसका प्रमाण कार्यालय में मासान्त तक उपलब्ध कराना होगा तभी अगले माह का भुगतान किया जा सकेगा ।

14– किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है ।

15– ठेकेदार / फर्म के द्वारा उपलब्ध कराये गये सफाई मजदूर किसी भी प्रकार की हडताल में हिस्सा नही लेंगें ।

16– विगत दो वर्षो का कार्यादेश किसी संस्था में कार्य कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

17– निविदा दाता किसी भी विभाग अथवा राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट घोषित नही होनी चाहिये । तथ्यों को छुपान के फलस्वरूप उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

18– निविदादाता को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा ।

19– नगर पंचायत कॉठ द्वारा व्यक्ति विशेष को हटाने के निर्देश पर ठेकेदार सम्बन्धित कर्मचारी को हटाने के लिये बाध्य होगा ।

20– किसी भी घटना– दुर्घटना की स्थिति में सेवा प्रदाता / ठेकेदार / फर्म उत्तरदायी होगा ।

21– आपूर्ति किये जाने वाले कर्मचारियों / श्रमिकों से आवश्यकतानुसयार रात्रिकालीन कार्य भी लिया जायेगा ।

22– ई0 पी0 एफ0ओ0 व ई0 एस0 आई0 सी0 में इम्प्लाई एवं इम्प्लाई शेयर को जमा करने का दायित्व चयनित कार्यदायी संस्था का होगा तथा उक्त के चालान की प्रति प्रत्येक माह बिल के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

23 – सेवाप्रदाता का लांभाश शासनोदशानुसार ही मान्य होगा ।

24– सेवाप्रदाता को सफाई कार्य को सुचारू व समय से कराने हेतु स्थानीय सफाई श्रमिकों को वरीयता देना अनिवार्य होगा ।

25– निविदा की कार्यअवधि बढाये / घटाये जाने का अधिकार अधिशासी अधिकारी / अध्यक्ष नगर पंचायत कॉठ में निहित होगा ।

| | | |
|---|---|---|
| मौ0 महबूब<br>लिपिक<br>नगर पंचायत कॉठ<br>मुरादाबाद | सूर्यकान्त<br>अधिशासी अधिकारी<br>नगर पंचायत कॉठ<br>मुरादाबाद | प्रीति<br>अध्यक्षा<br>नगर पंचायत कॉठ<br>मुरादाबाद |